खंड 4 अंक 7 फरवरी 2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषयसूची

- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 148वीं बैठक
- "ढोला-हातीघुली में दिबांग और लोहित नदियों के मूल जलमार्ग में रिस्टोरेसन-चरण-V" योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक
- एनडब्ल्यूडीए के शासी निकाय की 69वीं बैठक
- यमुना स्थायी समिति की 93वीं बैठक
- चित्रकूट, सतना, एमपी में मंदाकिनी नदी तट के कटाव संरक्षण कार्य के लिए डीपीआर
- उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पर बैठक
- जिस्पा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बैठक
- डेनमार्क पक्ष के साथ बैठक
- आईईडब्ल्यूपी के दूसरे चरण के लिए कार्य योजना पर चर्चा और औपचारिक रूप देने के लिए बैठक
- भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह
- सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए सहायता
- राजस्थान हिस्से की नर्मदा मुख्य नहर में कम निर्वहन
- आईडब्ल्यूएआई और के.ज.आ. के डीएंडआर विंग के बीच समझौता ज्ञापन
- एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा जनवरी-2022 के दौरान प्रशिक्षण गतिविधि
- ड्रिप
- सिक्किम का आईएमसीटी दौरा
- जनवरी-2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी
- डेटा कॉर्नर
- जल क्षेत्र-समाचार
- इतिहास- मचकुंड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना
- गैलरी

डा. आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने 31.01.2022 को बजट सत्र की शुरुवात में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते समय नदियों को जोड़ने और केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के निर्णय पर प्रकाश डाला। सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 148वीं बैठक 17.01.2022 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के घटकों सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय देश में राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दे रहा है। इस क्रम में दिनांक 07.01.2021 को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 की घोषणा की गई जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। के.ज.आ. के अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए आवेदनों की जांच के साथ-साथ मौके पर जा कर सत्यापन में भूमिका निभाई।

अन्य सौंपी गई भूमिकाओं के अलावा, के.ज.आ. नियमित रूप से जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देता है। महीने के दौरान, विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों के संदर्भ में यूरोपीय संघ, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण पारस्परिक विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे की स्थापना मई 1988 में हुई थी तब से,अकादमी ने समय-समय पर भारत के जल क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन किया और अपने उपयोगकर्ता आधार, विषयों, शिक्षाशास्त्र और संस्थागत संबंधों को जोड़ना जारी रखा। कोविड-19 के कारण, एनडब्ल्यूए विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों के प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन/वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से जल संरक्षण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसे नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। मुझे आशा है कि ऐसे कार्यक्रमों से ब्लॉक स्तर और जिला परिषद के जनप्रतिनिधि, पंचायत अधिकारियों के साथ-साथ पानी पंचायतों के पदाधिकारी और प्रगतिशील किसानों को लाभ मिलेगा।

के.ज.आ. के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान इस सूचना पत्र का यह पहला अंक है। मैं पाठकों से इसके निरंतर सुधार के लिए उनके सुझाव देने का अनुरोध करूंगा। इसमें जल क्षेत्र से संबंधित अन्य संगठनों को भी प्रकाशन के लिए किसी भी प्रासंगिक इनपुट के लिए योगदान दिया जा सकता है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 148वीं बैठक

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए 17.01.2022 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 148वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा के.ज.आ., एनडब्ल्यूडीए, सीजीडब्ल्यूबी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सीईए, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय आदि ने भाग लिया।

बैठक में सलाहकार समिति द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुल पांच (5) परियोजनाओं को स्वीकार किया गया।

क्रमांक	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) और मूल्य स्तर	इच्छित लाभ
1	बीना कॉम्प्लेक्स सिंचाई और बहउद्देशीय परियोजना (केन-बेतवा लिंकपरियोजना का एक घटक, चरण- II)	मध्य प्रदेश	बहुउद्देशीय	3353.62 (2017-18)	सीसीए-96000 हे., पावर- 25 मेगावाट, पेयजल -19.2 एमसीएम, औद्योगिक-25 एमसीएम, लाभ-लागत अनुपात-1.502
2	केन बेतवा लिंक परियोजना (चरण- II) के तहत लोअर ओर बांध परियोजना	मध्य प्रदेश	बहुउद्देशीय	2657.04 (2017-18)	सीसीए-90000 हे. पेयजल -6 एमसीएम, पावर-19 मेगावाट (सौर), लाभ-लागत अनुपात- 1.54
3	केन बेतवा लिंक परियोजना(चरण- II) के तहत कोठाबैराज परियोजना	मध्य प्रदेश	सिंचाई (वृहत)	709.47 (2017-18)	सीसीए-20000 हे., पावर-8 मेगावाट (सौर), लाभ-लागत अनुपात- 1.63
4	संशोधित उझ बहुउद्देशीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर	बहुउद्देशीय	11907.77 (दिसंबर, 2019)	सीसीए-40716 हे.,पावर-89.5 मेगावाट, पेयजल-18.92 एमसीएम, औद्योगिक-20.00 एमसीएम, लाभ-लागत अनुपात-0.79
5	लोकटक लिफ्ट सिंचाई परियोजना चरण-I के ईआरएम की आरसीई	मणिपुर	सिंचाई (वृहत)	81.59 (दिसंबर, 2020)	सीसीए-12600 हे. लाभ-लागत अनुपात- 4.20

"ढोला-हातीघुली में दिबांग और लोहित नदियाँ अपने मूल जलमार्ग -चरण-V" योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक

बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए "ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निष्पादित ढोला-हातीघुली चरण-V (पार्ट ए) में दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल जलमार्ग में बहाल करने" हेतु तकनीकी सलाहकार समिति-ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी-बीबी) की 16वीं बैठक 13.01.2022 को आयोजित की गई। श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(नदी प्रबंध), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने 16वीं वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की जिसमें वास्तविक साइट चित्र और वीडियो समिल्लित थे। के.ज.आ, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सीडब्ल्यूपीआरएस, असम राज्य सरकार के अधिकारियों और विभागाध्यक्ष (सिविल इंजीनियरिंग), आईआईटी गुवाहाटी ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में, वर्तमान में चल रही योजनाओं के अनुप्रवाह में दिबांग नदी की धारा परिवर्तन की हाल ही में उत्पन्न समस्या और लोहित नदी में इसके संगम तथा लोहित नदी के बाएं किनारे पर बढ़ रही कटाव की समस्या के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. ने विचार-विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे से निपटने हेतु अल्पकालिक/ दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करने से पहले संबंधित नदियों का उपयुक्त बिंदुओं पर और उचित चौड़ाई के लिए क्रॉस-सेक्शन लेना आवश्यक होगा। उन्होंने ब्रह्मपुत्र बोर्ड को क्रॉस-सेक्शन और तटरेखा सर्वेक्षण करने के लिए तुरंत एक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसे के.ज.आ. द्वारा जल्दी से अंतिम रूप दिया जाएगा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जब तक क्रॉस-सेक्शन/ तटरेखा सर्वेक्षण सर्वेक्षण किया जाता है, तब तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड अल्पकालिक/दीर्घकालिक उपायों के लिए एक उपयुक्त योजना भी तैयार कर सकता है ताकि अगले मानसून से पहले समय पर उपाय किए जा सकें। उन्होंने के.ज.आ. के अधिकारियों को अप्रैल, 2021 से अब तक विभिन्न साइटों पर उपलब्ध निर्वहन डेटा के विश्लेषण का निर्देश दिया, जिससे वर्तमान मुद्दे की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी।

एनडब्ल्यूडीए के शासी निकाय की 69वीं बैठक

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने 31.01.2022 को बजट सत्र की शुरुवात में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते समय नदियों को जोड़ने और केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार के निर्णय पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंश इस प्रकार हैं:

"सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को भी आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपये की लागत वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट को समाप्त करने में सहायक होगी।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के शासी निकाय की 69वीं बैठक 19.01.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने की। वर्ष 2020-21 के लिए एनडब्ल्यूडीए की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए एनडब्ल्यूडीए के कार्यों की योजना व प्रगति, नदी परियोजनाओं के विभिन्न अंतर्योजन कार्यों और अध्ययनों की प्रगति की स्थिति और समीक्षा, राष्ट्रीय अंतर्योजन नदी प्राधिकरण (एनआईआरए) का गठन, सातवें भारत जल सप्ताह का आयोजन और हाल ही में आयोजित ब्रिक्स जल मंच और पहली ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न राज्य सरकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ इंजीनियर-इन-चीफ, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ., सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ., संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग), सीजीडब्ल्यूबी, सीईए, आईएमडी आदि के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव (प्रशासन), संयुक्त सचिव, (आरडीएंडपीपी), जल शक्ति मंत्रालय और एनडब्ल्यूडीए की शासी निकाय के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

यमुना स्थायी समिति की 93वीं बैठक

यमुना स्थायी समिति (वाईएससी) की 93वीं बैठक 18.01.2022 को श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. व भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव तथा अध्यक्ष, यमुना स्थायी समिति (वाईएससी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधीक्षण अभियंता, सेंट्रल विस्टा, के.लो.नि.वि. (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ-साथ एनआईएच के अधिकारियों ने परियोजना और मॉडल अध्ययन के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति के बाद, समिति के सदस्यों ने विभिन्न अवलोकनों के बारे में प्रश्न किए जिनका परियोजना प्राधिकरण द्वारा बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया गया । अंत में, समिति के अध्यक्ष ने कुछ शर्तों के अधीन परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसकी समीक्षा बाद में समिति द्वारा की जाएगी। ये शर्तें इस प्रकार हैं:-

शर्तें:

- परियोजना के निष्पादन से पहले अन्य सभी वैधानिक / अनिवार्य मंजूरी के.लो.नि.वि. द्वारा प्राप्त की जाएगी। एनजीटी की प्रधान समिति और डीडीए से मंजूरी के संबंध में किसी भी मुद्दे पर परियोजना प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया जाएगा।
- तटबंध के शिखर स्तर को 208.51 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। स्थिरता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए के.लो.नि.वि. इस काम को आई एंड एफसीडी, दिल्ली और रेलवे के परामर्श से प्रासंगिक बीआईएस कोड और सीएमडीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय, के.ज.आ. के विचारों के अनुसार डिजाइन मापदंडों पर विचार कर करे।
- मौजूदा पुलिया से सटे परियोजना के निकास बिंदु पर जलनिकास के पास बनने वाले दूसरे स्लुइस गेट के डिजाइन और लागत अनुमान को डीपीआर में शामिल किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार के.लो.नि.वि.द्वारा बनाया जाएगा।
- हालांकि आईएंडएफसीडी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार /रेलवे, द्वारा नदी के किनारे तटबंधों की सुरक्षा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिचिंग और लॉन्चिंग एप्रन के रूप में सुरक्षा कार्य डिजाइन, डिस्चार्ज, वेग और प्रासंगिक बीआईएस कोड 14262:1995 के प्रावधान के अनुसार किए गए हैं जिसमें उठा हुआ भाग भी समिल्लित है।
- उद्यान की बागवानी योजना के डिजाइन के संबंध में सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए परियोजना प्राधिकरण एनबीआरआई के साथ संवाद करेगा।
- उद्यान पुलिया से गुजरने वाले जलनिकास व बंध के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त प्रवेश/मार्ग प्रदान करने के लिए के.लो.नि.वि. आई एंड एफसीडी, दिल्ली और एसडीएमसी, दिल्ली के परामर्श से कार्य करेगा।
- प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह से पानी के प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा कारणों से उठे हुए बांध को दोनों तरफ से ठीक से बांधा जाना चाहिए। इसका ध्यान के.लो.नि.वि. द्वारा रखा जाएगा।
- यमुना स्थायी समिति से विशिष्ट मंजूरी के बिना के.लो.नि.वि. द्वारा यमुना नदी के फ़्लडप्लेन में किसी भी अन्य संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा।

इस बीच, मॉडल अध्ययन का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि पुराने रेलवे पुल से ओखला बैराज तक के हिस्से को समिल्लित किया जा सके। जिससे इसके नतीजों का उपयोग आगे की नियोजित संरचनाओं के परिशोधन में किया जा सके।

चित्रकूट, सतना, एमपी में मंदाकिनी नदी तट के कटाव संरक्षण कार्य के लिए डीपीआर

चित्रकूट धाम जिला, सतना (एमपी) में कटाव संरक्षण कार्यों की डीपीआर पर चर्चा के लिए 24.01.2022 को श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में, डिजाइन और लागत पहलुओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया-

1. राज्य सरकार, बैठक में सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के अनुसार डिजाइन के साथ-साथ लागत पहलुओं की समीक्षा करेगी।
2. राज्य सरकार,2003 से 2020 तक उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर पिछली सभी वार्षिक अधिकतम बाढ़ के अनुसार क्षति के डेटा की समीक्षा करेगी और इसे एक स्पष्ट सूचकांक मानचित्र पर चिह्नित करेगी।
3. पिछले वर्षों के वार्षिक नुकसान के आधार पर वास्तविक भू-सर्वेक्षण मानचित्रों के माध्यम से अगले 50 वर्षों में परियोजना के अभाव मे होने वाली हानि के आधार पर प्रत्याशित वार्षिक क्षति की जानकारी निकाली जाए।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पर बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ.और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव द्वारा के.ज.आ. और वैपकोस के अधिकारियों के साथ 03.01.2022 को उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (बिहार और झारखंड) के बिहार हिस्से में आरएमसी के पूर्ण लाइनिंग/आंशिक लाइनिंग के लिए विभिन्न विकल्पों के संबंध में लाभ-लागत अनुपात की गणना को अंतिम रूप देने के संबंध में एक बैठक की गई।

बिहार के हिस्से में आरएमसी के पूर्ण लाइनिंग/आंशिक लाइनिंग के संबंध में बिहार सरकार के निर्णय को लंबे समय से लंबित देखते हुए बैठक का मुख्य उद्देश्य तर्कसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों के लाभ-लागत अनुपात का आकलन करना था, ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके और अधिकतम परिकल्पित लाभ प्राप्त किया जा सके।

बैठक में, वैपकोस और के.ज.आ. के अधिकारियों को बिहार के हिस्से में आरएमसी के पूर्ण लाइनिंग/आंशिक लाइनिंग के संबंध में विभिन्न विकल्पों के लाभ-लागत अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि इसे आगे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को भेजा जा सके।

जिस्पा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ.और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिस्पा बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 04.01.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (एचपीपीसीएल) और के.ज.आ. के अधिकारी शामिल हुए।

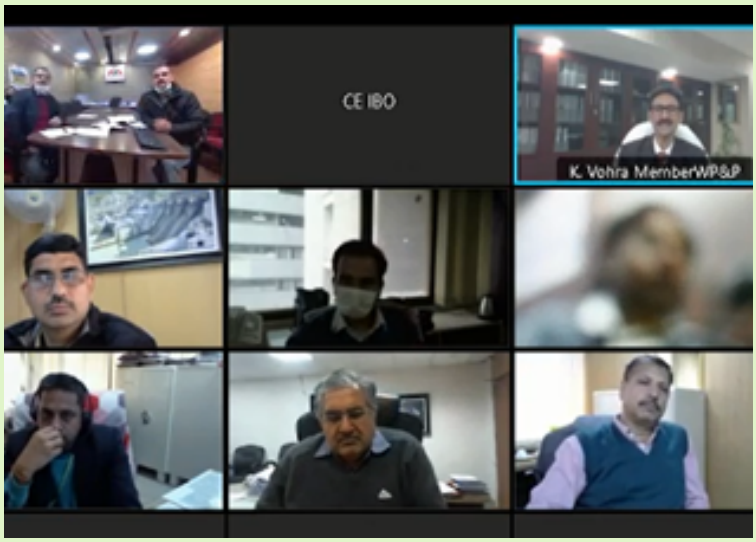

बैठक के दौरान चर्चा की गई कि पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा टीओआर के अनुमोदन के संशोधन को आगे बढ़ाने हेतू प्रथम दृष्टया स्वीकृति के लिए परियोजना प्राधिकरण को विभिन्न घटकों जैसे बांध और अन्य घटक सहित परियोजना की विन्यास(लेआउट) योजना को के.ज.आ.को प्रस्तुत करनी होगी। परियोजना प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि पहाड़ी पर सर्दी का प्रभाव कम होने और स्थितियाँ काम करने योग्य होने के बाद, अप्रैल 2022 तक उपरोक्त विन्यास(लेआउट)योजना, के.ज.आ. को प्रस्तुत की जाएगी।

डेनमार्क के प्रधान मंत्री, सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन, की अक्टूबर, 2021 में भारत यात्रा के दौरान उभरे कार्य बिंदुओं पर डेनमार्क पक्ष के साथ बैठक

दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच 09.10.2021 को हुई बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण के विकास पर चर्चा के लिए श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. तथा पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने 07.01.2022 को डेनमार्क दूतावास, नई दिल्ली के अधिकारियों और के.ज.आ.के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। सहभागिता के तहत, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से संबंधित दो प्रस्ताव अर्थात् (i) राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएसडब्ल्यूएआरएम) की स्थापना; और, (ii) वाराणसी में स्वच्छ नदी जल के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआरडब्ल्यू) की स्थापना की पहचान की गई है। बैठक के दौरान, डेनिश पक्ष से सहभागिता के संभावित क्षेत्रों पर एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसे वह उपर्युक्त दो प्रस्तावों को विकसित करने के लिए पेश कर सकता है।

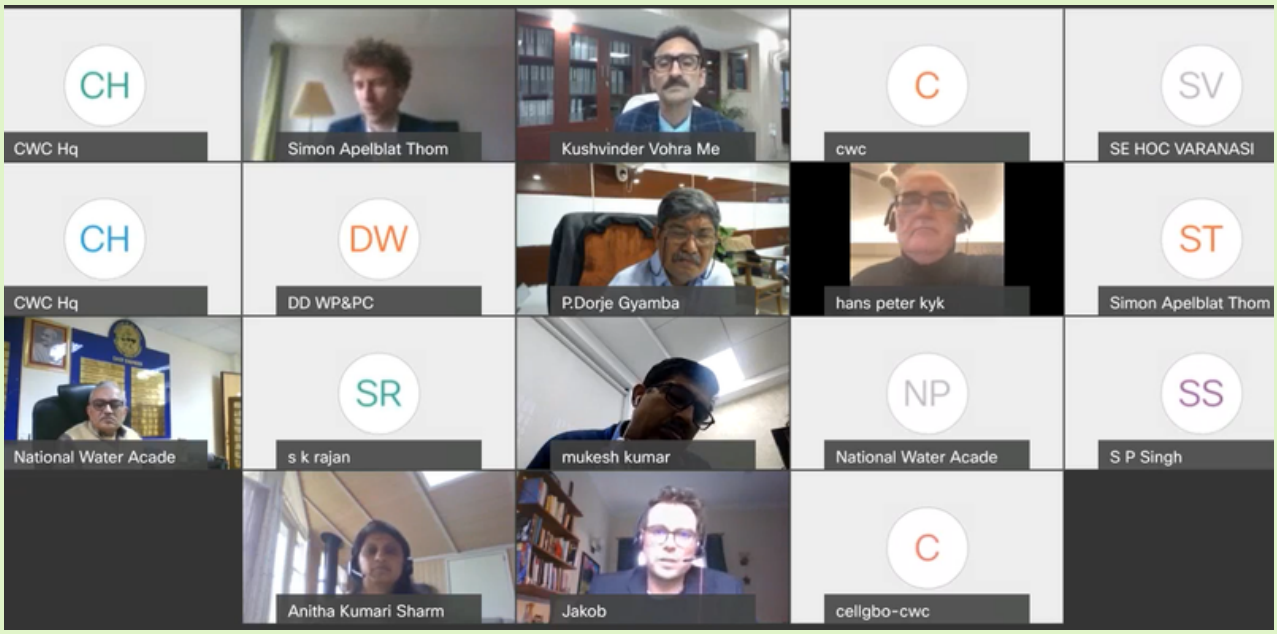

आईईडब्ल्यूपी के दूसरे चरण के लिए कार्य योजना पर चर्चा और औपचारिक रूप देने के लिए बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ.तथा भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव और सुश्री कामिला क्रिस्टेंसन राय, काउंसलर (भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल) के नेतृत्व में एक संयुक्त भारत-यूरोपीय संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) के दूसरे चरण में चार विषयगत क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य क्षमता विकास के क्रॉस-कटिंग स्तंभ के साथ दूसरे चरण में चार विषयगत क्षेत्रों के लिए कार्य योजना को औपचारिक रूप देना था। चार विषयगत क्षेत्र हैं-

1. नदी बेसिन प्रबंधन
2. पर्यावरण प्रवाह
3. सिंचाई और कुशल जल उपयोग
4. उपचारित अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुन: उपयोग

बैठक में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया ताकि दूसरे चरण में किए जाने वाले अध्ययनों को एक एकीकृत और समग्र नदी बेसिन प्रबंधन योजना की दिशा में एकीकृत किया जा सके। आईईडब्ल्यूपी के दूसरे चरण में तापी बेसिन की नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास शामिल होगा। रामगंगा बेसिन के लिए, यह निर्णय लिया गया कि इसे आईईडब्ल्यूपी के साथ-साथ गंगा कायाकल्प योजना के लिए समर्थन के तहत लिया जाएगा और समग्र नदी बेसिन प्रबंधन योजना के विकास के लिए विभिन्न घटकों को समन्वित और एकीकृत किया जाएगा।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के भीतर क्षमताओं को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण सबसे उपयुक्त और प्रभावी तरीका है। इसके लिए शुरू से ही एनडब्ल्यूए, पुणे के साथ मिलकर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना के विकास की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों को रखा जा सके। इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण के अलावा, यदि अधिकारी शुरुआत से ही यूरोपीय संघ के विशेषज्ञों के साथ अध्ययन करने में शामिल रहेंगे तो यह हमेशा अधिक फायदेमंद होगा और इसका बेहतर प्रभाव होगा।

भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक 20.01.2022 को आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ, तथा भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव और ऑस्ट्रेलिया की ओर से श्री मार्कस फिन, प्रथम सहायक सचिव, जल प्रभाग, कृषि, जल और पर्यावरण(डीएडब्ल्यूई), विभाग ने की। बैठक जल संसाधन प्रबंधन पर भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन के तहत सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना के लिए व्यापक अध्ययन प्रस्ताव पर चर्चा और पुष्टि करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, दोनों पक्षों ने अध्ययन शुरू करने और अध्ययन के लिए इनपुट के समन्वय के लिए एक भारत-ऑस्ट्रेलिया कार्य समूह का गठन करने पर सहमति व्यक्त की है। कार्य समूह के लिए भारतीय टीम का

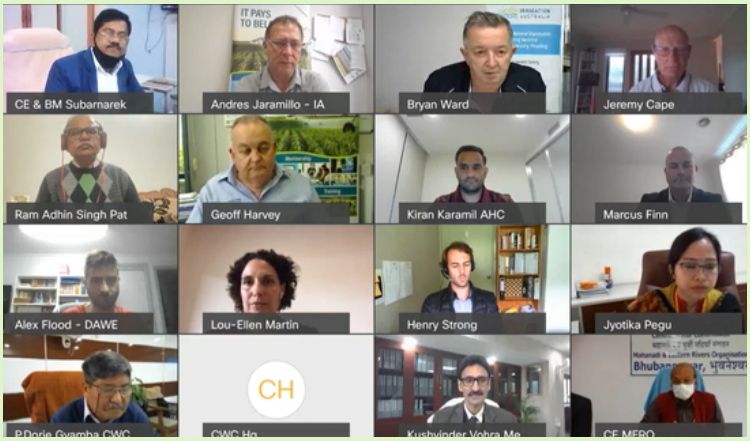

नेतृत्व मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. द्वारा किया गया।

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए सहायता

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी),के.ज.आ.और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव ने सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के समर्थन के कार्यान्वयन की समीक्षा और चर्चा करने के लिए 24.01.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियाई विकास बैंक(एडीबी), एसआईएमपी कंसल्टेंट्स टीम और के.ज.आ.के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एडीबी की तकनीकी सहायता से के.ज.आ.ने एसआईएमपी की शुरुआत की है जो भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रयोग करने का प्रस्ताव करता है ताकि सिंचाई जल उपयोग दक्षता और फसल जल उत्पादकता में सुधार हो सके। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने एसआईएमपी चरण- I के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की, जो 31.12.2021 को समाप्त हुआ और इस संबंध में चरण- II और भविष्य की कार्रवाई के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

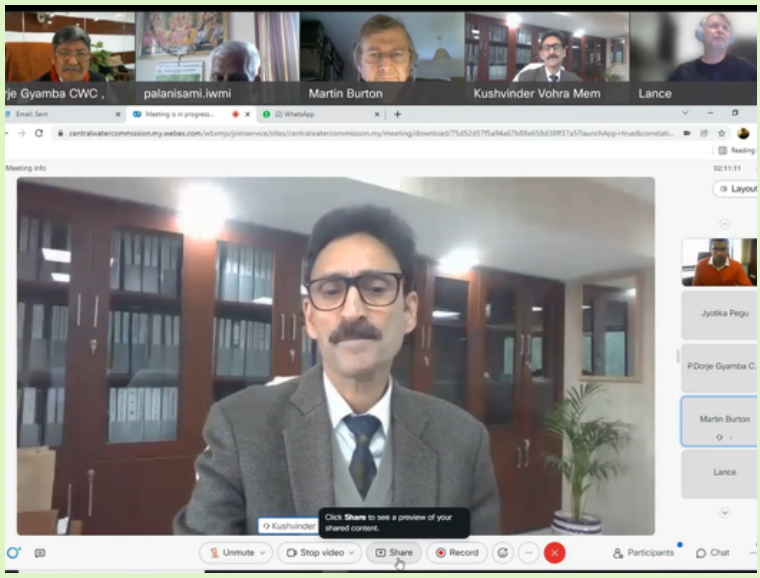

नर्मदा मुख्य नहर के राजस्थान भाग में कम निर्वहन

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के 1979 के आदेश के अनुसार, राजस्थान, सरदार सरोवर परियोजना से 616.74 एमसीएम (0.5 एमएएफ) पानी का हकदार है। गुजरात राजस्थान सीमा पर नर्मदा मुख्य नहर में अधिकतम 73.62 क्यूमेक्स(2600क्यूसेक) डिस्चार्ज बनाए रखा जाना है। हालांकि, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर परियोजना के कमांड क्षेत्रों में नर्मदा से अपर्याप्त पानी छोड़े जाने के संबंध में शिकायतें मिलीं, जिससे राजस्थान में परियोजना के कमांड क्षेत्रों के किसानों में अशांति फैल गई। अगस्त 2021 में सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में आयोजित एनसीए की 92वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "नर्मदा मुख्य नहर के राजस्थान हिस्से में कम निर्वहन का विश्लेषण और समाधान" के संबंध अध्ययन के.ज.आ. और सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को सौंपा जाए। के.ज.आ. इसका नेतृत्व करेगा और कम से कम समय में अध्ययन पूरा किया जाए।
सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. के रूप में डॉ आर.के. गुप्ता ने इस मुद्दे पर उनकी अध्यक्षता में तीन बैठकें कीं। डेटा एनसीए द्वारा सीडब्ल्यूपीआरएस को प्रस्तुत किया गया है और सीडब्ल्यूपीआरएस पहले से ही गणितीय मॉडलिंग के माध्यम से इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा है। पिछली बैठक 28.01.2022 को हुई थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि:

1. सीडब्ल्यूपीआरएस गणितीय मॉडल को के.ज.आ. के साथ साझा करेगा ताकि के.ज.आ. 'एन' का मान और ढलानों को बदलकर कई विकल्पों का अध्ययन कर सके। के.ज.आ. 15.03.2022 तक यह अध्ययन करेगा और यदि आवश्यक हो तो शेष डिस्चार्ज के लिए माप, दोनों राज्यों यानी गुजरात और राजस्थान की सहमति से लिया जाए।

के.ज.आ. और एनसीए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर खरपतवार वृद्धि की स्थिति के बारे में नहर का निरीक्षण करेंगे और तस्वीरों के साथ के.ज.आ. मुख्यालय और सीडब्ल्यूपीआरएस को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

डीएंडआर विंग, के.ज.आ. और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के बीच समझौता ज्ञापन

अंतर्देशीय जल परिवहन एनडब्ल्यू-5 के विकास में शामिल विभिन्न जल विज्ञान और नदी आकृति के मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 25.01.2022 को नई दिल्ली में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और के.ज.आ. के डीएंडआर विंग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

जनवरी-2022 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

क्रमांक	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थी की संख्या	श्रेणी
1	"साइट पर जल-मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण" पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण	03-07 जनवरी 2022	72	तकनीकी
2	जल संसाधन और जल सूचना विज्ञान में बिग डेटा अनुप्रयोग	17-20 जनवरी 2022	300	तकनीकी
3	सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (अंग्रेजी संस्करण)	27 दिसंबर 2021 - 28 जनवरी 2022	10	तकनीकी
4	सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (हिंदी संस्करण)	27 दिसंबर 2021 - 28 जनवरी 2022	20	तकनीकी
5	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार-कार्यक्रम 7 (पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के जिलों के लिए)	06-07 जनवरी 2022	160	जन जागरूकता
6	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार कार्यक्रम 8 (पश्चिमी उतार चढाव वाले कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए)	13-14 जनवरी 2022	384	जन जागरूकता
7	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार-कार्यक्रम 9 (पश्चिमी केंद्रीय टेबल भूमि कृषि-जलवायु क्षेत्र को शामिल करना)	20-21 जनवरी 2022	799	जन जागरूकता
8	वाल्मी, ओडिशा के सहयोग से "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार-कार्यक्रम 10 (पश्चिमी केंद्रीय टेबल भूमि कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए)	27-28 जनवरी 2022	357	जन जागरूकता

ड्रिप

ड्रिप चरण-II के तहत मेघालय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)के साथ समीक्षा बैठक

डीआरआईपी चरण-II और III के तहत दो (2) निविदाओं को फिर से जारी करने पर आगे चर्चा करने के लिए 07.01.2022 को मेघालय पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीपीएमयू के अधिकारियों ने भाग लिया जिसका नेतृत्व श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन (डीएसओ), के.ज.आ. ने किया और एमईपीजीसीएल के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व श्रीएम.शांगलीप्लियांग, निदेशक, उत्पादन, एमईपीजीसीएल ने किया।

बांध सुरक्षा संस्थागत संरचना और वित्त पोषण पर विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुति

विश्व बैंक द्वारा दिनांक 13.01.2022 को "बांध सुरक्षा संस्थागत संरचना और वित्त पोषण" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व बैंक द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसमें बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और संस्थागत व्यवस्था, प्रभावी प्रबंधन के लिए बांध पोर्टफोलियो की प्राथमिकता, बांध सुरक्षा पर उत्कृष्टता नेटवर्क केंद्र, बांध सुरक्षा के वित्तपोषण- भारत में प्रभावी बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कोष और विश्व बैंक से समर्थन आदि विषयों को शामिल किया गया। कार्यशाला में श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और डॉ आर के गुप्ता, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. के साथ डीएसओ, के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

केरल में एक बेसिन हेतू एकीकृत जलाशय संचालन पर चर्चा के लिए बैठक

केरल राज्य में एकीकृत जलाशय संचालन के विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतू 31.01.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। केरल राज्य के चलकुडी बेसिन को इस अध्ययन के लिए चुना गया। बैठक में विश्व बैंक, के.ज.आ., जापान जल एजेंसी, जल आपदा और जोखिम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र(आईसीएचआरएम), केरल डब्ल्यूआरडी और केरल राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया।

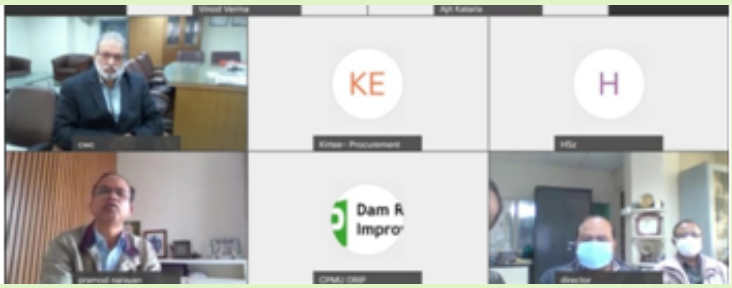

सिक्किम का IMCT दौरा

मानसून के कारण बाढ़/भूस्खलन से सिंचाई, पेयजल, तटबंध और बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं में हुई क्षति की स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है। के.ज.आ.के अधिकारियों को इन अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है।

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने जनवरी, 2022 के दौरान, बाढ़ प्रभावित राज्य सिक्किम का दौरा किया। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित जिलों का दौरा किया। श्री कमल कुमार जांगिड़, अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण मंडल, के.ज.आ., गंगटोक दल का हिस्सा थे और उन्होंने पूर्वी सिक्किम और उत्तरी सिक्किम जिले का दौरा किया।

जनवरी-2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2021-22	व्यय	व्यय(%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	175.00	118.218	67.55
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की अन्वेषण (आईडब्ल्यूआरडी)	12.00	5.429	45.24
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	27.32	7.236	26.49
4.	बुनियादी ढांचा विकास (आईडी) योजनाएं	4.50	3.273	72.73
5.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	23.905	7.901	33.05
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00	13.340	53.36

जलाशय निगरानी

कें.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 137 जलाशयों की सक्रिय संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 137 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.367 बीसीएम है जो कि 257.812 बीसीएम की सक्रिय संग्रहण क्षमता का लगभग 68.02% है, जो अनुमानित तौर पर देश में ही निर्मित की गई है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 27.01.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 116.112 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 66% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 113.767 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत 93.294 बीसीएम था। इस प्रकार, बुलेटिन दिनांक 27.01.2022 के अनुसार 137 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 102% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 124% है। तालिका-01 के अनुसार, समग्र रूप से देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में समग्र भंडारण स्थिति बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान औसत भंडारण से भी बेहतर है।

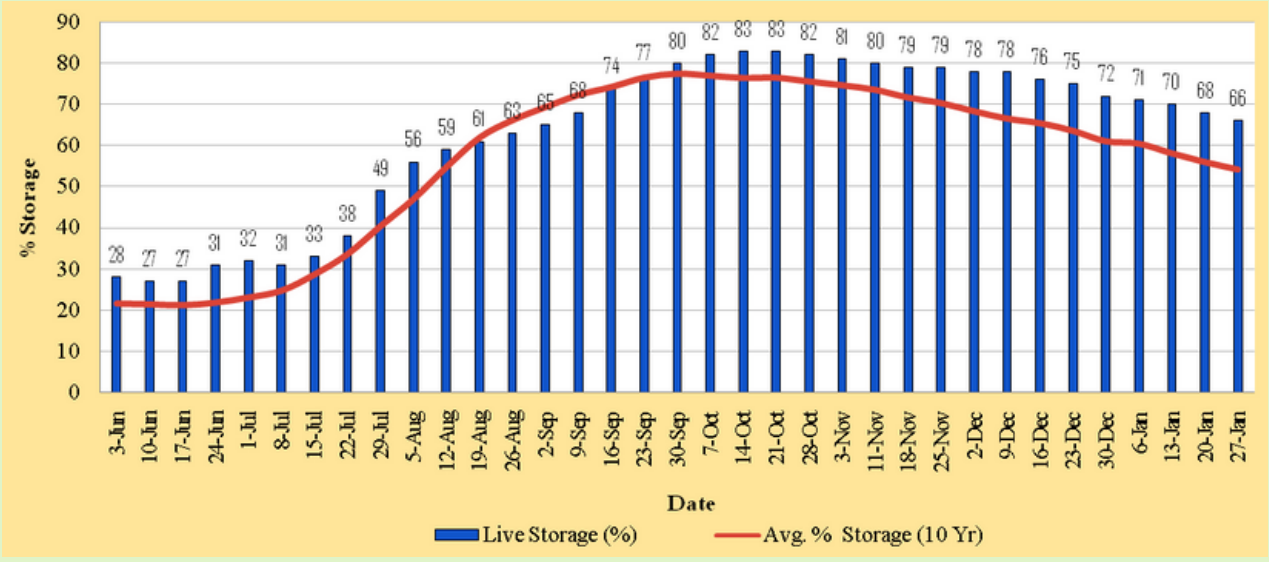

डेटा कॉर्नर- वर्ष 2020 में बाढ़ से हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण

क्रमसं	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (एम.हे) में.	प्रभावित जनसंख्या(मि) में.	फसलों को नुकसान		मकानों को नुकसान		मवेशियों की हानि	इंसानों की जान गई	सार्वजनिक संसाधनों को नुकसान	कुल नुकसान फसलों, घरों और सार्वजनिक संसाधनों
				क्षेत्र(एम.हे.) में	मूल्य करोड़ में	संख्या	मूल्य करोड़ में	संख्या	संख्या	मूल्य करोड़ में	मूल्य करोड़ में
1.	आन्ध्रप्रदेश	0.213	1.770	0.213	903.000	7651	14.660	18663	45	0.000	917.660
2	अरुणाचल प्रदेश	0.006	0.670	0.006	10.129	693	4.444	149	21	1375.503	1390.076
3	असम	0.188	5.789	0.188	145.870	8122	93.360	702	150	2200.500	2439.730
4	बिहार	0.772	10.230	0.517	727.876	18775	11.701	133	62	70.617	810.194
5	छतीसगढ	0.016	0.040	0.005	3.660	22312	15.300	154	42	12.380	31.340
6	गोवा	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
7	गुजरात	2.902	0.340	2.902	2912.820	4548	2.490	726	195	0	2915.310
8	हरियाणा	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	0.002	0.500	0.001	16.750	1307	8.580	84	11	35.220	60.550
10	झारखंड	0.016	0.028	0.013	0.728	268	0.158	0	5	0	0.886
11	कर्नाटक	1.310	0.170	1.310	सूचना नहीं	40099	सूचना नहीं	2708	142	सूचना नहीं	9833.000
12	केरल	0.006	0.114	0.006	सूचना नहीं	14016	सूचना नहीं	2	14	सूचना नहीं	सूचना नहीं
13	मध्यप्रदेश	0.629	0.371	0.629	सूचना नहीं	15417	सूचना नहीं	294	189	सूचना नहीं	सूचना नहीं
14	महाराष्ट्र	सूचना नहीं	0.773	सूचना नहीं	सूचना नहीं	48	सूचना नहीं	824	450	सूचना नहीं	सूचना नहीं
15	मणिपुर	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
16	मेघालय	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
17	मिजोरम	सूचना नहीं	सूचना नहीं	0.12	सूचना नहीं	1	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	0.007	0.045
18	नागालैंड	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
19	ओडिशा	0.314	3.890	0.314	542.300	78137	108.910	26	38	858.120	1509.330
20	पंजाब	0.152	0.079	0.152	सूचना नहीं	2570	सूचना नहीं	615	20	सूचना नहीं	सूचना नहीं
21	राजस्थान	0.043	0.480	0.040	45.790	2507	0.890	97	34	144.490	191.170
22	सिक्किम	0.03	0.225	0.010	3.000	1432	6.138	21149	18	339.860	348.998
23	तमिलनाडू	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
24	तेलंगाना	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
25	त्रिपुरा	0.010	0.026	0.006	137.720	163	0.197	0	0	0	137.917
26	उत्तरप्रदेश	0.170	0.910	0.120	176.380	6821	5.270	659	72	421.310	602.960
27	उत्तराखंड	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	736	सूचना नहीं	96	80	सूचना नहीं	सूचना नहीं
28	पश्चिम बंगाल	सूचना नहीं	1.026	सूचना नहीं	सूचना नहीं	11568	सूचना नहीं	382	227	सूचना नहीं	सूचना नहीं
29	अंदमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
30	चंडीगढ	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
31	दमन एंड दीव नगर हवेली	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
32	लद्दाख	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
33	दिल्ली	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
34	जम्मू एंड कश्मीर	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
35	लक्षद्वीप	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	5	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
36	पुडुचेरि	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
	कुल	6.899	27.431	6.552	5626.023	237196	272.098	47463	1815	5458.007	21189.166

जल क्षेत्र-समाचार

- **गंगा संरक्षण से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी (जनसत्ता, 01.01.2022)**
- **नेपाल : शारदा नदी का पानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाया जाएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार (दैनिक भास्कर, 03.01.2022)**
- **बांधों की सुरक्षा बेहद अहम (राष्ट्रीय सहारा, 04.01.2022)**
- **22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित, सबसे ज्यादा खेत सींचने वाला राज्य बना यूपी (राजस्थान पत्रिका, 04.01.2022)**
- **केंद्रीय जल आयोग उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा — हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की निगरानी होगी (हिन्दुस्तान, 05.01.2022)**
- **संवेदनशील ग्लेशियरों की होगी साप्ताहिक निगरानी (अमर उजाला, 05.01.2022)**
- **2020 में जल संरक्षण प्रयासों में यूपी अव्वल, राजस्थान को मिला दूसरा स्थान (अमर उजाला, 08.01.2022)**
- **'गंगा' को लोगों की आजीविका का साधन बनाने में जुटी सरकार (हिन्दुस्तान, 10.01.2022)**
- **7 राज्य नल—जल लक्ष्य में सौ फीसदी पास (राजस्थान पत्रिका, 13.01.2022)**
- **सरकार का हर जिले में जल शक्ति केंद्र बनाने पर जोर (राष्ट्रीय सहारा, 14.01.2022)**
- **वल्र्ड हेरिटेड में शामिल हुआ सुकुवां—ढुकुवां बांध (हरिभूमि, 14.01.2022)**

मानसून सीजन 2021 के लिए बाढ़ की स्थिति

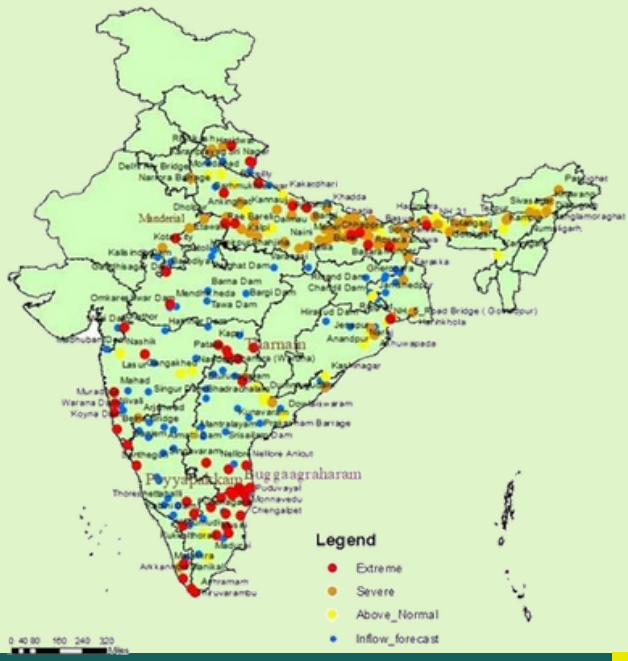

इतिहास- मचकुंड जल-विद्युत परियोजना

स्वतंत्रता के बाद, गोदावरी बेसिन में जलविद्युत विकास के लिए सबरी बेसिन के बड़े जल-विद्युत संसाधनों में तुरंत रुचि दिखाई गयी, जिसमें शामिल सिविल कार्यों के पैमाने और लागत तथा लाभ बिजली की मांग के अनुरूप था। मचकुंड जलविद्युत परियोजना ऐसी पहली परियोजनाओं में से एक थी जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच एक अंतर-राज्यीय परियोजना है। यह ओडिशा के कोरापुट जिले में मचकुंड नदी पर स्थित है जो इन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है।

मचकुंड नदी

मचकुंड नदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले से निकलती है और उत्तर-पश्चिमी मार्ग में दुदुमा जलप्रपात तक बहती है जहां यह 550 फीट नीचे गिरती है। गुरेपो के साथ संगम के बाद नदी को सिलेरू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद के जलमार्ग में एक हिस्से के दौरान राज्यों के बीच सीमा बनाती है और, यह मोटू में सबरी में मिलती है जो गोदावरी में मिलती है। अपने जलमार्ग में मचकुंड नदी दुदुमा जलप्रपात तक, 858 वर्ग मील के क्षेत्र से पानी एकत्र करती है।

पृष्ठभूमि

परियोजना के लिए प्रारंभिक तैयारियाँ और फील्ड का काम अक्टूबर,1946 में शुरू किया गया था। मचकुंड/सिलेरू नदी की जलविद्युत क्षमता का सर्वेक्षण 1929 में किया गया था और 1931 में सर हेनरी हॉवर्ड, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, मद्रास राज्य द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद, 1946 में युद्ध के बाद की विकास योजना के रूप में और तत्कालीन समग्र मद्रास और ओडिशा राज्यों के एक संयुक्त उद्यम के रूप में मचकुंड जलविद्युत परियोजना को लिया गया था। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ, यह परियोजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा का संयुक्त उद्यम बन गई।

यह योजना दुदुमा जलप्रपात में जलविद्युत के विकास के लिए मचकुंड नदी के पानी का उपयोग करती है। पहले चरण में, 17 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां 1955 और 1957 में चालू की गईं। पहले चरण के लिए 245 मीटर का शुद्ध शीर्ष उपलब्ध था। दूसरे चरण में, 21.250 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयों को 1959 में चालू किया गया था। दूसरे चरण के लिए उपलब्ध शुद्ध शीर्ष 255 मीटर था।

अभिन्यास(लेआउट)

योजना को चरणों में तैयार किया गया था। प्रारंभिक चरण में शामिल थे:

- 25,650 मिलियन घन फीट पानी भंडारित करने के लिए मचकुंड नदी पर जलापुट में बांध।
- जलापुट बांध से 17 मील नीचे और दुदुमा जलप्रपात से डेढ़ मील ऊपर नदी पर एक डायवर्जन बांध;
- पहाड़ियों को घेरता हुआ 4,000 फीट लंबा एक चैनल;
- 4,116 फीट लंबी एक सुरंग;
- एक पाण्ड;

- 3,000 फीट लंबी दूसरी सुरंग;
- 50 फीट व्यास का एक टैंक जो संचालन के दौरान बिजलीघर से वापस आने वाले पानी को इकट्ठा करता है;
- बिजलीघर तक जाने वाले पेनस्टॉक पाइप; तथा
- 17.25 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों वाला एक बिजलीघर।

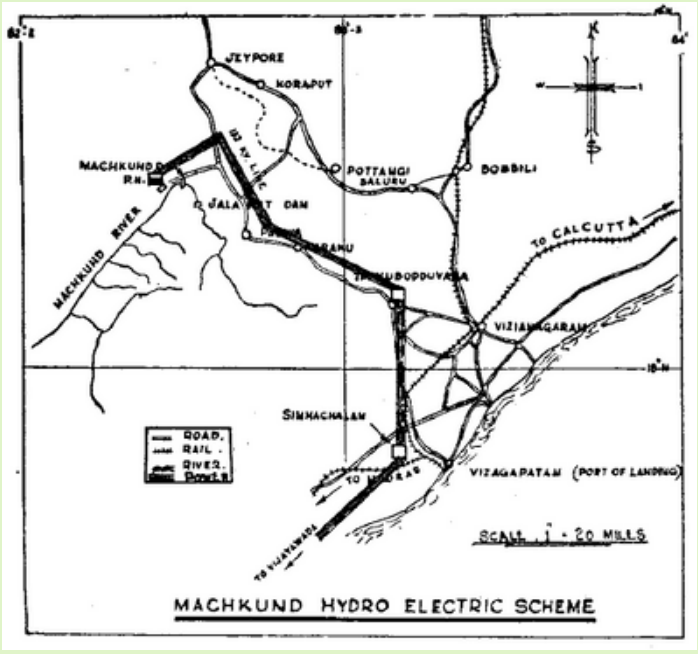

जलापुट बांध

मुख्य भंडारण बांध जलापुट में बनाया गया है, जो मचकुंड और इसकी प्रमुख सहायक नदी पत्थाला के संगम से 2.4 किमी नीचे है। चिनाई वाला गुरुत्व बांध 410 मीटर लंबा है और इसकी नींव से अधिकतम ऊंचाई 50.7 मीटर है। इसमें लगभग 12.5 मिलियन क्यूबिक फीट चिनाई है। मुक्त जलग्रहण क्षेत्र 1935 वर्ग किमी है। प्रारंभ में, सकल भंडारण क्षमता 726 एमसीएम निर्धारित की गई थी। इसके बाद, बांध की ऊंचाई 3 मीटर और भंडारण क्षमता 770 एमसीएम तक बढ़ा दी गई।

बांध के माध्यम से रिसने वाले पानी को निकालने के लिए बांध को उपयुक्त उपकरणों के साथ बनाया गया था, और दोनों तरफ पहाड़ियों की कठोर चट्टान के साथ आसानी से और दृढ़ता से जुड़ा हुआ था। पानी के निर्वहन और बांध स्थल पर बिजली विकसित करने के लिए बांध में स्टील के पाइप लगाए गए हैं। समय-समय पर जलाशय का परिमार्जन करने के उद्देश्य से निचले स्तर पर दो और पाइप प्रदान किए गए हैं।

डायवर्जन बाँध

जलापुट बांध द्वारा रोके गए पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है और डायवर्जन बांध पर एक वाहिका में अपवर्तित कर दिया जाता है। यह बांध 315 मीटर लंबा है और 170 मीटर लंबे केंद्रीय स्पिलवे के साथ ठोस चिनाई वाला गुरुत्व बांध है, जिसे 185,000 क्यूसेक के अधिकतम बाढ़ निर्वहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

12 फीट x 8 फीट के दो स्लुइस, प्रत्येक स्लुइस 1,000 क्यूसेक जल का निर्वहन करने में सक्षम है और 12 फीट x 8 फीट का एक स्काउट स्लूइस दाहिने किनारे पर स्थित हैं। इस संरचना की चिनाई सामग्री लगभग 2 मिलियन क्यूबिक फीट थी। यह 389 मिलियन क्यूबिक फीट जल का भंडारण प्रदान करता है, और नीचे बिजलीघर में टर्बाइनों में प्रवाह को नियंत्रित करता है।

अवनालिका और सुरंग

अपवर्तन बांध द्वारा अपवर्तित पानी को अंतर्ग्राही संरचना के माध्यम से नदी के दाहिने किनारे पर पहाड़ी ढलानों से सटे खुले कंक्रीट-लाइन वाली लगभग 4,000 फीट लंबी (334 फीट के एक जलसेतु सहित) अवनालिका और आंशिक रूप से लगभग 4,000 फीट लंबी एक सुरंग के माध्यम से संचालित किया जाता है तथा मक्कीपुट घाटी में छोड़ा जाता है, जहां एक छोटा बांध (टनेल पाण्ड डैम) बनाकर बनाए गए पाण्ड में पानी एकत्र किया जाता है।

टनेल पाण्ड से पानी को अंतर्ग्राही संरचना के माध्यम से एक कंक्रीट-लाइन वाली सुरंग में पहुँचाया जाता है, जो लगभग 3,000 फीट लंबी होती है, जिसका आकार घोड़े की नाल के आकार का होता है। यह 1,800 क्यूसेक पानी छोड़ सकती है।

सर्ज टैंक

सुरंग 50 फीट व्यास और 74 फीट ऊंचे एक सर्ज शाफ्ट में समाप्त होती है, जो एक खोखले बेलनाकार बर्तन की तरह चट्टान को खोखला करके बनाई गई है और कंक्रीट की लाइनिंग के साथ है। सर्ज शाफ्ट से 10 फीट व्यास वाली 180 फीट लंबी स्टील पाइप सुरंग की दिशा में बिछाई गई हैं | इनसे पानी एक मेनिफ़ोल्ड मे जमा होता है जिससे पानी भिन्न व्यास वाली पाइपों से सीधे टर्बाइनों में ले जाया जाता है।

पेनस्टॉकों

टर्बाइनों के लिए 63 से 57 इंच के अलग-अलग व्यास और प्रत्येक 1660 फीट लंबे छह स्टील पाइप, पहाड़ी ढलानों से नीचे बिजलीघर में लगे हुए हैं ।

परिवहन समस्याएं

मचकुंड परियोजना स्थल ओडिशा राज्य की सीमा के अंदर स्थित था। निकटतम बंदरगाह और रेलहेड 200 किलोमीटर की दूरी पर विशाखापत्तनम था। विशाखापत्तनम से सड़क दुर्गम घाट खंडों से होकर गुजरती थी जिससे परिवहन की कठिन समस्या होती थी। ट्रांसफार्मर सबसे भारी पैकेज थे और; विशाखापत्तनम से परियोजना स्थल तक और 37 डिग्री ढलान के हॉलेज ट्रैक से बिजलीघर स्थल तक उनके परिवहन ने निर्माण के समय गंभीर समस्याएं पैदा कीं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों और विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से इन समस्याओं का समाधान किया गया।

अंतरराज्यीय समझौता

सबसे पहले, मद्रास सरकार और ओडिशा सरकार के बीच वर्ष 1946 में मचकुंड नदी पर दुदुमा में जलविद्युत शक्ति के विकास के संबंध में एक समझौता किया गया था।

दोनों राज्यों के बीच 18.07.1961 को एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि ने जलापुट बांध की ऊंचाई बढ़ाने के परिणामस्वरूप मचकुंड जलविद्युत परियोजनाओं में बनाई गई अतिरिक्त बिजली के आधे हिस्से का दावा किया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे जलापुट बांध की ऊंचाई 10 फीट बढ़ाने की अतिरिक्त लागत का आधा भुगतान करने के लिए तैयार रहेंगे।

परियोजना पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया था, पूंजी परिव्यय और बिजली दोनों राज्यों के बीच 70-30 के अनुपात में साझा की जा रही थी। हालांकि, परियोजना पर संयुक्त स्वामित्व था,पर प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका निर्माण आंध्र प्रदेश सरकार बिजली विभाग के निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत किया गया था। बाद में, परियोजना के लाभों को राज्यों के बीच समान हिस्से में साझा किया गया।

लाभ

परियोजना से बनाई गई बिजली ने विशाखापत्तनम क्षेत्र में कई प्रमुख खनन, शिपिंग और तेल उद्योगों और राज्य के तटीय जिलों में अन्य विभिन्न औद्योगिक उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। इसने उन शुरुआती दिनों में तटीय जिले में बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण में मदद की। यह परियोजना जल संसाधन विकास के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है।

स्रोतः भगीरथ

मचकुंड जलप्रपात

गैलरी

गणतंत्र दिवस समारोह

पुणे

देहारादून

फ़रीदाबाद

पटना

चेन्नई

जनवरी 2022 के दौरान टिल्लारी सिंचाई परियोजना, गोवा की चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई

अयोध्या में 14-15 जनवरी, 2022 के दौरान अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा के.ज.आ. द्वारा किए गए सर्वेक्षण और जांच के संदर्भ में स्तावित अयोध्या बैराज स्थल एवं अयोध्या एचओ साइट का दौरा

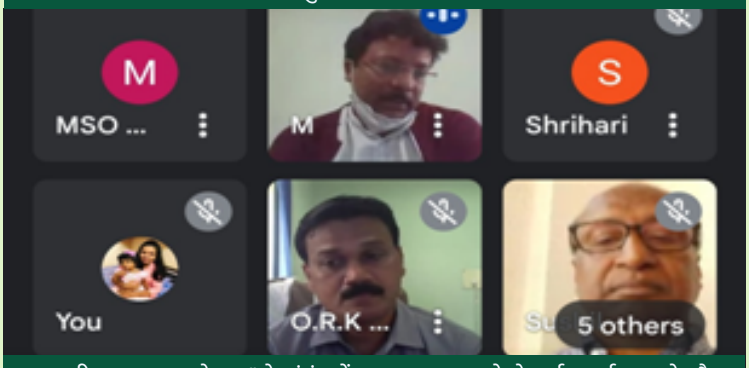

"आजादी का अमृत महोत्सव" के संबंध में 17.01.2022 को जे हर्षा, एसई, एचओ और सीसी द्वारा प्रस्तुत "जल गुणवत्ता के क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी का समृद्ध योगदान" पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम

के.ज.आ. हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रबोधन टीम द्वारा 11.01.2022 को तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद जिले में इरिकीकुंटा लघु सिंचाई टैंक का दौरा

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अजय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री समीर कुमार झा , निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in